

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की
धारा-4 (1) ख (7)

मैनुअल संख्या-7

किसी व्यवस्था की विशिष्टताएं, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी हैं, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफोन नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें।

किसी व्यवस्था की विशिष्टताएं, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं

1. प्रासंगिक अधिनियम, नियम प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड) एक कार्यदायी संस्था है तथा इसकी पालिसी/कार्यप्रणाली लोक निर्माण विभाग, एन0एच0ए0आई एवं अन्य निर्माण एजेंसियों के आधार पर तैयार की जाती रही है। बोर्ड ऑफ डारेक्टरर्स द्वारा वर्तमान प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिये जा रहे हैं। अतः वर्तमान व्यवस्था में यहाँ लोक निर्माण विभाग एवं NHAI की कार्यप्रणाली प्रचलित है। अतः आंतरिक नीति-नियमों को बनाने से पूर्व जनता के प्रतिनिधियों से सलाह लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। निगम की समस्त नीतियों का आधार प्रचलित शासकीय नियम ही है।

2. परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा

ब्रिडकुल एक निर्माण कार्यों से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था होने के कारण उत्तराखण्ड राज्य एवं राज्य से बाहर गतिमान एवं आवंटित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित संस्थाओं से परामर्श आदि आवश्यकतानुसार लिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ब्रिडकुल द्वारा आवंटित परामर्श सम्बन्धित कार्य भी निष्पादित किये जाते हैं।

(क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य

उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में विभिन्न नीतियों का निर्माण एवं उक्त नीतियों एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कैबिनेट में जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों की सहमति अनुमोदनोपरांत नीति निर्धारित की जाती है, जिसका पालन किया जाना उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सभी संस्थाओं द्वारा अनिवार्य है।

(ब) आगंतुको के लिए दिन और समय आवंटित

ब्रिडकुल में समस्त आगंतुकों के लिए मिलने का समय प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे आवश्यकतानुसार आवंटित किया जाता है।

(ग) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण

समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी को सीधे सम्पर्क द्वारा एवं आनलाईन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

सर्वाजनिक—निजी भागीदारी (पीपीपी)

1. विशेष प्रयोजन वाहन (एसपी0वी) का विवरण, यदि कोई हो

ब्रिडकुल में विशेष प्रयोजन वाहन (एसपी0वी) बाह्य अनुबंध के आधार पर आवश्यकतानुसार लिए जाते हैं। तथा निगम के पास अपने दो निजी वाहन भी रखे गये हैं।

2. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपी0आर)

ब्रिडकुल द्वारा किये जा रहे समस्त निर्माण कार्यों की डीपी0आर0 तैयार की जाती है।

3. रियायती समझौते

ब्रिडकुल में आवंटित कार्यों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का रियायती समझौता नहीं किया जाता है।

4. संचालन और रखरखाव मैनुअल

ब्रिडकुल द्वारा आवंटित कार्यों के सुगम संचालन हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा—निर्देशों का अनुपालन किया जाता है, उक्त के आधार पर ही किये गये कार्यों का रख—रखाव उपलब्ध मैनुअल में निर्धारित नियम एवं शर्तों के आधार पर ही किया जाता है।

(अ) पीपीपी के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज

वर्तमान में ब्रिडकुल में पीपीपी मोड पर कार्य का संचालन नहीं किया जाता है।

(बी) फीस, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है

ब्रिडकुल कार्यदायी संस्था होने के कारण निर्माण कार्यों का सम्पादन करती है, जिसमें किसी भी प्रकार का टोल फीस वसूली आदि का कार्य सम्मिलित नहीं है।

(स) आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी

ब्रिडकुल द्वारा किये जा रहे विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एवं उससे सम्बन्धित आउटपुट विभिन्न परियोजनाओं की पत्रावलियों में संलग्न होते हैं।

(द) निजी क्षेत्र की पार्टि (रियायत प्राप्तकर्ता आदि) के चयन की प्रक्रिया

ब्रिडकुल एक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित कार्यदायी संस्था होने के कारण निजी क्षेत्र में किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होती है।

(ध) पीपीपी परियोजना के तहत किए गए सभी भुगतान

ब्रिडकुल द्वारा वर्तमान में पीपीपी सम्बन्धित किसी परियोजना पर कार्य नहीं किया जा रहा है।